राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335702
सी.आई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sri Ganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष / **Phone:01498-61202,**
वेबसाईट / **Website:** www.indiaseeds.com ईमेल / **E-mail-** csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांकः के.रा.फा. / जैत. / कृषि / 13–06 / 2025–26 / दिनांकः 11.03.2025

ई– निविदा–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, (राजस्थान) मे वर्ष 2025-26 मे फार्म की विशिष्ट संतति उद्यान एंव व्यवसायिक उद्यान व कार्यालय परिसर मे स्थित फलदार वृक्षों के फल तोड़नें के अधिकार हेतु दिनांक 01-04-2025 **को** दोपहर 02:30 बजे तक ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। **जिसकी धरोहर राशि रूपये 10,000 / – होगी। जिसकी तकनीकी निविदा उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी। ई–निविदा में भाग लेने हेतु निर्धारित की गई धरोहर राशि भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला(** खाता सं.:- 4153 2435 884, IFSC **कोड नम्बर** SBIN0008251) **पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में जमा करना होगा। नियम एवम् शर्तो की जानकारी निगम की वेबसाईट** www.indiaseeds.com तथा ई–पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com **पर देखी जा सकती है, जिस पर ई–निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है।**

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

Particulars	Details
Date of issue of NIT	**11.03.2025**
Date and time for submission of online bid	**From 12.03.2025 10:00 AM** **To 01-04-2025 02.30 PM**
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	**01.04.2024 on 3:00 PM**
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/ NEFT)	**Rs. 590.00 (Rs. 500+18% GST)**
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	**Rs. 10,000/-**
Address for communication	**Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Jetsar (Raj.)**
Contact Person (with Phone No. & Email)	**Incharge (Prodn.) Phone No.- 01498-261261, Email : csf.jetsar@indiaseeds.com**

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.

II. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com

III. Bidders must have a valid email id and mobile number.

IV. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.

V. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.

VI. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.

VII. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.

VIII. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.

IX. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

X. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

XI. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

XII. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.

XIII. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

XIV. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to

XV. local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

XVI. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

XVII. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.

XVIII. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.

XIX. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

XX. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

XXI. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
वेबसाइट: www.indiaseeds.com
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: अनूपगढ़, राजस्थान–335702
ईमेल– ***csf.jetsar@indiaseeds.com***

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Website: www.indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Distt: Anupgarh, Rajasthan-335702
E-mail- ***csf.jetsar@indiaseeds.com***

पत्रांक: के.रा.फा. / जैत / 10–41 / कृषि / 2025–26 / दिनांक 11.03.2025

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	**Details**
Name of the E-Tenderer	
Father name of the E-Tenderer	
Full address of the E-Tenderer	
Mobile number of the E-Tenderer	
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License etc.	
Copy of Bank Passbook	
Signed copy of term & condition.	

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम–मिनीरत्न कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर में 2025-26 के फलों की नीलामी की शर्तेः–

1. ठेकेदार को निविदा में भाग लेने से पूर्व पहचान पत्र पेन कार्ड, आधार कार्ड व बैंक विवरण हेतु:- बैंक खाता कॉपी/कैंसिल चैक की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा, जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोली दाता/ठेकेदार कोई साझीदार फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बंधित हों। यदि ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा नियम/अर्न्तनियम, पंजीकरण प्रमाण पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टेण्डर में भाग लेने से पहले फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि रू0 10000/– (रूपये दस हजार रूपये मात्र) रुपये भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता सं.:- 4153 2435 884) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। सफल बोली/ टेण्डर दाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा असफल बोली/टेण्डरदाता की धरोहर राशि, सम्बंधित निविदादाता के बैंक खाते में लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । बोली स्थल पर कोई अस्त्र शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। संन्देहास्पद दशा में तलाशी भी ली जा सकती है।
3. फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर सकते है।
4. खरीददार को बाग के फल तोडने के अधिकार की अबधि विभिन्न फलों के प्रकृति एवं स्वभाव अनुसार भिन्न–भिन्न होगी,। ज्यों ही फलों की चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तो के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके व मौसमी के फलो को तोडने का अधिकार 31.10.2025 तक तथा आम, बेल पत्र व खजूर के फलों को तोडने का अधिकार 31.08.2025 इसके बाद ठेकेदार को फल तोडने का कोई अधिकार नहीं होगा।
5. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिडकाव व अन्य वॉछित कार्य समय समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यो को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे।
6. यदि कोई व्यक्ति बिना खरीददार की जानकारी के फल तोडता हुआ पाया गया तो खरीददार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के फार्म प्रमुख को देगा।
7. फलों को तोडने व फलों की सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेडों का उखाडना, सूखना, बीमारी/ कीडों आदि (प्राकृतिक/ अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
8. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी को भी देगा।
9. फल तोडने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते जो बाग में रहेंगे, फार्म के सम्बंधित अधिकारी व फार्म प्रमुख को सूचित करेगा।

क्रमशः पेज दो पर लगातार .....

10. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोडे गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुछ फल (अधिकतम मात्रा 1.00 कुण्टल) फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी। फल वृक्षो से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
11. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/ खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म फार्म प्रमुख द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/ खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगडा या मतभेद के मामले में फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर का निर्णय अंतिम होगा।
12. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/ खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/ तुडाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्चे पर करेगा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चुँगी, नगरपालिका ,मण्डी समिति शेष आदि यदि हो तो फल ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा। निविदादाता को स्पष्ट कहा जाता है कि फलों के उक्त ठेके में किसी भी प्रकार का कर, टैक्स, चुंगी आदि लगता है तो नियमानुसार सफल निविदादाता को स्वयं ही वहन करना होगा।
13. खरीददार द्वारा शर्तो की अवहेलना करने पर फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, को जमा की गई धरोहर धनराशि व अन्य चुकाई गई राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना फार्म प्रमुख महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तातंरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/ को नहीं करेगा।
14. इस सौदे के लिए रू0 500/ – (पांच सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के सात दिन के अन्दर ही करना होगा।
15. खरीददार फार्म एरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबंध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/ खरीददार द्वारा फार्म रोकडिया के पास जमा करानी होगी।
16. नीलामी के पश्चात अगर बोली दाता समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोडने से रोका जा सकता है साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। उसके उपरांत बिना सूचना दिये ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की धरोहर धनराशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म को होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।
17. शर्तो की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोली दाता की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी। उस हालत में धरोहर राशि व अन्य धन राशि जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोली दाता से वसूली जाएगी।
18. साधारणतया फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में सुबह 8–00 बजे से शाम 5–00 बजे तक होगी। किसी भी भार वाहन द्वारा फल ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।
19. यदि कोई भी बोली दाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगडा नहीं करेगा सभी शर्तो का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तो का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 05 वर्षो के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
21. खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्ते : –
    1. ठेकेदार को नीलामी धन राशि का 25 प्रतिशत बोली मंजूर होने के तुरन्त बाद जमा करना होगा। यदि कोई ठेकेदार नीलामी धन राशि का 25 प्रतिशत राशि तुरंत जमा नहीं कर पाता है तो दो कार्य दिवस में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ जमा की जा सकती है। निर्धारित नीलामी धन राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबंध किया जायेगा। अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।
    2. ठेकेदार को नीलामी धन राशि का शेष 75 प्रतिशत बोली मंजूर होने के दिन से एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। अगर विभिन्न फल फसलों को एक साथ नीलाम किया जाता है तो 75 प्रतिशत नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित समय/ अन्तरालों की सूचना निम्न प्रकार से होगी-:

क्रमशः पेज तीन पर लगातार .....

नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ

यदि विभिन्न फलों की नीलामी एक साथ या लाट वाइज अलग–अलग की जाती है तो 75

प्रतिशत बकाया धन किस्तों में देना होगा जोकि निम्न प्रकार निश्चित होगा:-

क. 35 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30.05.2025 तक जमा करनी होगी। यदि इस तिथि से पहले ठेकेदार बेल पत्र, आम, मौसमी, खजूर आदि के फल तोडना चाहता है तो उसे सम्पूर्ण (75 प्रतिशत बकाया) धन राशि फल तोडने से पहले ही जमा करनी होगी तत्पश्चात ही उसे फल तोडने दिया जाएगा।

ख. 40 प्रतिशत धनराशि दिनांक 30.06.2025 तक जमा करनी होगी। यदि इस तिथि से पहले ठेकेदार बेल पत्र, आम, मौसमी, खजूर के फल तोड़ना चाहता है तो उसे सम्पूर्ण (75 प्रतिशत बकाया) धन राशि फल तोडने से पहले ही जमा करनी होगी तत्पश्चात ही उसे फल तोडने दिया जाएगा।

अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोडने से रोका जा सकता है साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती तो ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी। उस हालत में धरोहर राशि व अन्य धन राशि जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जाएगी। यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अर्न्तगत कोई कर/ उपकर लागू होता है तो सम्बंधित ठेकेदार चुकाएगा।

21. खरीददार द्वारा जमा धरोहर धन राशि/ ई.एम.डी. फार्म में सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार द्वारा कोई हानि फार्म को नहीं हुई है तो ठेका समाप्ति के बाद ठेकेदार को बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

22. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म एरिया में जंगली या प्रतिबंधित जानवरों का शिकार नही करेगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा, यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

23. बोली छूटने के बाद के वृक्षो अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीडों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर पौध संरक्षण प्रयास फार्म द्वारा किए जायेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान प्रभारी द्वारा किए गए उपायों व प्रयासों के उपरांत भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों की कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई भी आर्थिक छूट या राहत नहीं दी जाएगी।

24. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुॅचाने की कोशिश नहीं करेगा। इन मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

25. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षो या बाग को कोई नुकसान पहुॅचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा का छिडकाव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निर्माण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुॅचती है तो फार्म द्वारा क्षति की ऑकलन राशि, ठेकेदार को फार्म में जमा करानी होगी।

26. यदि सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/ नियम के अर्न्तगत किसी भी प्रकार की कोई अनुमत/ औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बंध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

क्रमशः पेज चार पर लगातार ....

27. आर्बिट्रेशनः- यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,के 1996 प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्षप्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र -सह-मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्ृयस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अँग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा । (ARBITRATION- In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion.Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision.The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

उपरोक्त नियम व शर्तों को मेरे द्वारा सुन लिया है ,समझ लिया है व पढ लिया गया है जो मुझे पूर्णतयः स्वीकार है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335702
सी.आई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sri Ganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष / Phone:01498-61202,
वेबसाईट / Website: www.indiaseeds.com ईमेल / E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

S.NO. CSF/JTS/EPO/13-06/2025-26 DATE:-11/03/2025

Tender form

With reference to your tender notice number CSF/JTS/EPO/13-06/2025-26 dated 11/03/2025, I am giving the following rates for taking the right to pluck the following fruits from your orchard in the year 2025-2026. I have deposited the security amount prescribed by you. I accept whatever terms and conditions have been prescribed by you in this regard.

S.No.	Name of orchard	Description		Area in ha.	Proposed rate in rupees
A.	Elite progeny orchard and Commercial Park	Name of fruit plant	Number of fruit plants		Rupees..................
		Datepalm	350	5.8	
		Mango	12	In Water Course and park	
		Mosambi	4	0.8	
		Beal	60	2.4	
B.	Office premises	Mango	09	In Water Course and park	

Sincerely,

Date....................

Signature.............................
Name..
Father's name................................
Full Address...
....
....

Mobile No..